न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 373/2022 दायर दिनाँक 31.08.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. अब्दुल मलिक गौरी पुत्र अब्दुल रजाक गौरी जाति देशवाली निवासी खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री कमल मोठ वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 33 रकबा 1.0700 हैक्टयर बारानी प्रथम जिसके पुरानी खसरा सं0 24 रकबा 05.13 बीघा है। जो तथ्य संवत 2006 से 2076 की जमाबन्दी में स्पष्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उक्त भूमि खसरा सं0 33 रकबा 1.0700 हैक्टयर पर वास्तविक व भौतिक कब्जा काश्त वादी के पूर्वज माला पुत्र साईमदीन की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात अब्दुल रजाक गौर तथा अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी का ही है।

उक्त भूमि खसरा सं0 33 रकबा 10700 हैक्टयर बारानी प्रथम पर वादी के पूर्वज माला पुत्र साईमदीन की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात खुदा बगस पुत्र समसाद की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। आज भी बेरोकटोक वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त खसरा सं0 33 रकबा 1.0700 हैक्टयर ... है। जिस कारण वादी का राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी है कि मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 33 रकबा 1.0700 हैक्टयर बारानी जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है। उक्त खसरा नम्बर 33 रकबा 1.0700 हैक्टयर की खातेदारी वादी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 खसरा सं0 33 रकबा 1.0700 हैक्टयर बारानी प्रथम की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **373/2022** दायर दिनाँक **31.08.2022**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. अब्दुल मलिक गौरी पुत्र अब्दुल रजाक गौरी जाति देशवाली निवासी खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **30.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमल मोठ वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खिंचियाबासनी के खसरा सं0 खसरा सं0 33 रकबा 1.0700 हैक्टयर बारानी प्रथम की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग...........—.............. बाबत....................—....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का जो के डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner